

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या :- 84/2023

1. कृष्णलाल पुत्र मनीराम
2. हनुमान पुत्र मेघाराम
3. कुलदीप पुत्र बलराम
4. मदनलाल पुत्र औमप्रकाश
5. सरोजदेवी पत्नि औमप्रकाश

जाति जाट साकिन अयालकी  
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़  
राजस्थान।

— वादीगण

—:बनाम:—

1. कुन्तादेवी पति बलराम
2. कपूरसिंह पुत्र दलीपसिंह
3. नन्दसिंह पुत्र दलीपसिंह

जाति जाट साकिन अयालकी  
तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़  
राजस्थान।

4. मनजीत पुत्र औमप्रकाश जाति जाट साकिन लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
5. महावीर पुत्र रूघाराम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
6. लालचन्द पुत्र रूघाराम जाति स्वामी साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
7. सुनितादेवी पुत्री औमप्रकाश जाति जाट साकिन लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
8. सुरेखा पुत्री बलराम जाति जाट साकिन लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगागनर राजस्थान।
9. सुरजा पुत्र धन्ना जाति जाट साकिन अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— प्रतिवादीगण

**दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा**

—: डिक्री :-

दिनांक :- 17/12/2024

वादीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 8 की ओर से श्रीमती किरणप्रीत कौर अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद में आज दिनांक को अमिता बिश्नोई उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों रिकॉर्ड का गहन अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण घोषणात्मक पेश कर प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 9 का हिस्सा व नाम कलमजन का अनुतोष चाहा जाकर शेष उभयपक्ष ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। चूंकि प्रकरण 88 आरटीए के तहत पेश किया गया है और विभाजन का अनुतोष नहीं है। वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 9 जिनका नाम व हिस्सा कलमजन किये जाने संबंधी अनुतोष उभयपक्ष साक्ष्यों से साबित नहीं होता है और ना ही कोई ठोस साक्ष्य पत्रावलली पर मौजूद है। अतः साक्ष्याभाव के कारण पत्रावली खारिज की जाती है।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 17/12/2024 मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी व सहायक कलक्टर एवं  
पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा  
पीलीबंगा